आवश्यक/समयवद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

टावर–2, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002

HQRS. DIRECTOR GENERAL OF POLICE, UP.

Tower-2, police headquarter, shaheed path, Gomti Nagar Vistar, Lucknow-226002, Email-adgkarmik@nic.in

संख्या–डीजी–1–27(41)2019 दिनांक:सितम्बर 30, 2019

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– बी0पी0आर0 एण्ड डी0 में पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु नामांकन के सम्बन्ध में।

कृपया बी0पी0आर0 एण्ड डी0 के पत्र संख्या–15/26/2019-Depu/Estt दिनांकः 25.09.2019 की संलग्न प्रति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा डी0आई0जी0 व एस0पी0 के पद पर बी0पी0आर0एण्ड डी0 में प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक अधिकारियों के नामांकन मांगे गये हैं।

2– अनुरोध है, कृपया संलग्न पत्र में उल्लिखित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले इच्छुक आई0पी0एस0 अधिकारियों के आवेदन पत्र दिनांक 07.10.2019 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

30/9/19

(एल0वी0एन्टनी देवकुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

D:\Rakesh Srivastav\New - 2018\Deputation\Deputation Note Sheet & Letter.docx

D4-1-27(41)19

D.O No.15/26/2019-Depu/Estt.

वरुण सिंधु कुल कौमुदी, भा.पु.से.
महानिदेशक

VSK Kaumudi, IPS
Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O)
Fax : 91-11-26781315
E-mail : dg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research And Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-8, Mahipalpur,
New Delhi-110037

Date: Sept, 2019

Dear Sir/Madam,

As you are aware, the Bureau of Police Research and Development, (BPR&D), is a Police Organization responsible for training of Police officers in the country, conducting research on critical issues affecting police and citizens, as also on police modernization issues. The Supreme Court of India and MHA also seek advice on many policing issues from the Bureau from time to time.

2. The BPR&D is facing acute shortage of staff, especially in the ranks of Superintendent of Police and Dy. Inspector General at its New Delhi Hqrs and outlying units like CAPT & CDTIs.

3. The Recruitment Rules for the above post envisage the mode of recruitment as **"Deputation"**. A copy of the Recruitment Rules for the post of S.P in BPR&D is enclosed as Annexure "A", for sponsoring willing and eligible officers from your organisation.

4. I seek your support and cooperation in filling up of the vacancies in the BPR&D with officers from your organization. Your personal attention and direction to your subordinate offices, in this regard, shall go a long way in enabling the BPR&D to play the desired role in improvement of policing in our country through proper capacity building.

Yours faithfully,

25/9/19

(V.S.K. Kaumudi)
Director General

Encls: As above

8725

The Director General
All States/ UTs.

Sec 1

"The Think Tank for Indian Police"
'Promoting Good Practices and Standards'

अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश 27/9/2019

AC V 27/9

Annexure-"A" (8)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2017/वैशाख 6, 1939
No. 320] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2017/ VAISAKHA 6, 1939

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.409(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय में पुलिस अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (पुलिस अधीक्षक), भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, इत्यादि: — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति: — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुलिस अधीक्षक	06* (2017) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय.	स्तर 13 (रू.118500-214100/-).	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: भारतीय पुलिस सेवा या केंद्रीय पुलिस संगठन या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में पे मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78800-209200/-) में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की है; अथवा (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में पे मैट्रिक्स के स्तर 11 (रु. 67700-208700/-) में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात दस वर्ष सेवा की है; अथवा (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में पे मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78800-209200/-) में तथा पे मैट्रिक्स के स्तर 11 (रु. 67700-208700/-) में नियमित आधार पर उस श्रेणी में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा की है, जिसमें से पे मैट्रिक्स के स्तर 12 (रु. 78800-209200) में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित रखते हों; (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; (ii) संचार या सामान्य समंकित पुलिस अनुप्रयोग अथवा पुलिस नेटवर्क या	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Superintendent of Police.	06* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13 (Rs. 118500-214100/-).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption level from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation:- Officers of the Indian Police Service or Central Police Organisations or Central Armed Police Forces: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto on regular basis in level 12 (Rs. 78800-209200/-) in the pay matrix in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years' service rendered after appointment thereto on regular basis in level 11 (Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix in the parent cadre or Department; or (iv) with fifteen years' combined service in the grade on regular basis in posts in level 12 (Rs. 78800-209200/-) in the pay matrix and level 11 (Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix in the parent cadre or Department, out of which three years' service shall be in level 12 (Rs. 78800-209200/-) in the pay matrix; and (b) Possessing:- (i) Bachelor's degree from a recognized University; (ii) two years' experience in communication or common integrated police application or police network or crime or criminal tracking	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

network system or computer and cyber application or counter insurgency problems in naxal affected areas or investigation of crime or training of police or Central Armed Police Forces or interaction with community or media. Note 1: Officers of the Indian Police Service shall draw pay and allowances as per Indian Police Service (pay) rules, 2007. Note 2: Deputation of officers of the Indian Police Service shall be regulated in terms of Indian Police Service Tenure Rules, 2009. Note 3: Period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/82/2015-PT]

KUMAR ALOK, Jt. Secy. (Police-I)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.04.27 10:59:39 +05'30'